




“प्रारूप” 26
(नियम 4 क देखिये)



24 रतलाम

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

ओक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

**शपथ-पत्र
भाग-क**

मैं कै. सिंह पुत्र/पुत्री/पति आशिता आयु 67 वर्ष जो प्र.प्र. 24 रतलाम (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ-पत्र पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :-

(1) मैं जनता दल (यूनाइटेड) ("राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी

** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 24 रतलाम के सेवाना (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 132 के क्रम सं. 257 पर प्रविष्ट है ।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं. 9424809257 है /हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) MR है, और मेरे सोशल मीडिया अकाउण्ट्स (यदि कोई हो तो) MR है ।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के बारे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है ।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2	पति या पति	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित -1	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित -2	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित -3	शून्य	शून्य	शून्य

(Handwritten signature)



श्री. पुनमचन्द मारिडेला
 पोस्टरी विधान सन् १९५१
 के अधीन नियुक्त पोस्टरी
 समाप्ति करता है कि

श्री. पुनमचन्द मारिडेला का नाम निम्नलिखित स्थानों पर पोस्टरी समाप्ति करता है कि
 नाम राम का पता राजपुरा
 निवासी आशु रावत का पता राजपुरा
 जिला राजपुरा
 दिनांक ३-१२-५१

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

श्री. पुनमचन्द मारिडेला का नाम निम्नलिखित स्थानों पर पोस्टरी समाप्ति करता है कि
 नाम राम का पता राजपुरा
 निवासी आशु रावत का पता राजपुरा
 जिला राजपुरा
 दिनांक ३-१२-५१

पुनमचन्द मारिडेला
 पी.ओ.ए.ए. नं. १२
 एडवोकेट एवं मीटर
 राजपुरा, जिला राजपुरा मध्य प्रदेश

12-51	12-51	12-51	12-51
12-51	12-51	12-51	12-51
12-51	12-51	12-51	12-51
12-51	12-51	12-51	12-51
12-51	12-51	12-51	12-51

(5) में ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हैं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रधान सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुद्ध
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	शुद्ध
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुद्ध
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुद्ध
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुद्ध
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किररी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	शुद्ध

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुद्ध
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम(अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	शुद्ध
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाईल की गई अपील (अपीलों) आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शुद्ध

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किररी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	शुद्ध
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों)	शुद्ध

शुद्ध

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) व (भार और मूल्य के ब्यौरे)	२५५	०१ kg चांदी 45000/-	२५५	२५५	२५५
(viii)	कोई अन्य अस्तियाँ जैसे कि दावों / हित का मूल्य	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(ix)	समग्र कुल मूल्य	६५५३०	८००००/-	१६०००/-	१६०००/-	२३००५

ख. स्थावर आरितियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तरया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र०	विवरण	खरब	प्रति/पति	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	जाम्बुखारन सर्वे. नं. 130 157	जाम्बुखारन सर्वे. नं. 83	२५५	२५५	२५५
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1.31 हे.	3.20 हे.	२५५	२५५	२५५
	क्या विरासत में आई संपत्ति (यदि हाँ या नहीं)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	1967	1984	२५५	२५५	२५५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	40,000/-	30000/-	२५५	२५५	२५५
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्षेत्र (वर्ग फूट में कुल माप)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	स्वर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५

(Handwritten Signature)



	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हों या नहीं)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)।	51, भांडुवादन जालंधर	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२०×७० १५×७०	२५५	२५५	२५५	२५५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	१५००sq. १०५०sq.	२५५	२५५	२५५	२५५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हों या नहीं)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	१९७३ १९७६	२५५	२५५	२५५	२५५
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	१०००० ५००००	२५५	२५५	२५५	२५५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	५,००,०००	२५५	२५५	२६५	२५५
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	२५५	२५५	२५५	२५५	२५५
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	५५००००/- ३००००/-	२५५	२५५	२५५	२५५

(Handwritten signature)



(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के रागक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्र०	विवरण	स्वयं	पति/पति	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	C.C.B 50000/-	C.C.B 57000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यक्तिको, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	50000/-	57000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवाश से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलिफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिकय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादधीन है, यदि हाँ तो अंतर्बलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(Handwritten signature)

लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नि कृषि

(10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

10वीं

(प्रमाण-पत्र, / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कुल. के.के.सिंह / कानिया डकोर				
2	डाक का पूरा पता	आ.पो. जगन्नाथन सह. बणना मि. तलाम				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	24, तलाम, मध्य प्रदेश				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)	जंगम दल (अनाईरेड)				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामले की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न।	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष तहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए।	शून्य				
7का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।		कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नि	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति / पत्नि	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियों (कुल मूल्य)	654200/-	60000/-	10000/-	10000/-	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियों	540000/-	30000/-	शून्य	शून्य	शून्य

के.के.सिंह



7	(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की कय कीमत	10000 50000/-	१५००	१५००	१५००	१५००
	(ii)	कय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो तो)	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
	 की	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
	(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	500000/-	१५००	१५००	१५००	१५००
		(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य)	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
		(ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य)					
9	दायित्व						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं						
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण कुल	१५००	१५००	१५००	१५००	१५००
11	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता 10 ^{वीं} (प्रमाण-पत्र, / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)						

-:: सत्यापन ::-

[Handwritten Signature]

मैं, उपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन ओर घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह ओर घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 व 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

[Handwritten Signature]



(ख) मेरे पति या पत्नि या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की दर 7 व 8 तथा भाग ख की मद 8, 9, और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

अभिलेखित तारीख 3/4/14 को सत्यापित किया गया।

अभिराधी

पुनः अभिलेखित
की तारीख 3/4/14
एडवोकेट एच बोहरा
बाँदला, जिला बाँसगाँव (भारत)

टिप्पण 1- शपथ-पत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2- शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाना चाहिए।

टिप्पण 3- सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- शपथ पत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

(फा.सं.एच-11019(6)2012-वि II)

डॉ.संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859 तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया-

- (1) संख्यांक का.आ. 728(अ), तारीख 8 मई 2007।
- (2) संख्यांक का.आ. 425(अ), तारीख 23 फरवरी 2011।